### व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड लेगा शॉप ऐक्ट का स्थान, बदल जाएगी दुकानों की पंजीकरण प्रक्रिया

# यूपी में खत्म होगा छह दशक पुराना शॉप ऐक्ट

**अच्छी खबर**

■ राजकुमार शर्मा

**लखनऊ।** यूपी में छह दशक से अधिक पुराना दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) जल्द खत्म हो जाएगा। इसका स्थान व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) कोड लेगा। इस बदलाव का असर प्रदेश के लाखों दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट आदि पर पड़ेगा। इन सभी को नये ओएसएच कोड के तहत पंजीकरण कराना होगा। इसमें 10 कर्मियों वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

अभी 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट थी। प्रदेश में शॉप एक्ट 1962 से लागू है। इसके तहत पहले ऐसे सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य था, जहां कोई भी कर्मचारी काम करता हो। इसी साल दो जनवरी को एक्ट में संशोधन को मंजूरी देते हुए एक से 19 कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया था। राज्य सरकार ने 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए ही पंजीकरण की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। अब देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। नये ओएसएच कोड और शॉप एक्ट संशोधन के बाद पंजीकरण की शर्तों को लेकर विरोधाभासी स्थितियां हैं। फिलवक्त 20 से कम कर्मियों पर पंजीकरण की छूट है, मगर ओएसएच एक्ट में 10 कर्मी वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।

**दोहरा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं: केंद्र**

केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यापारी को दोहरा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में शॉप एक्ट को खत्म करने का फैसला किया गया है। श्रमायुक्त कार्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। इसकी स्वीकृति होते ही प्रदेश में शॉप एक्ट खत्म हो जाएगा।

## 3126 जर्जर स्कूलों के बनेंगे नए भवन

**लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।** यूपी में 3126 जर्जर परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के नए भवन बनाए जाएंगे। 603 करोड़ रुपये इसके निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने की अच्छी सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की ओर से इसे हरी झंडी दे दी गई है।

अभी इन जर्जर स्कूल भवनों में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कठिनाई आती है। पुराने स्कूल भवनों के जो कक्ष ज्यादा जर्जर हो गए हैं उन कक्षों को बंद कर दूसरे में पढ़ाई कराई जा रही है। बरसात में पढ़ाई करने में यहां अधिक परेशानी होती है। अब पीएबी की मंजूरी मिलने के बाद इन जर्जर स्कूल भवनों का कायाकल्प होगा और यहां पर नए भवन बनाए जाएंगे। वहीं 1314 परिषदीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष भी बनाए जाएंगे। जिससे विद्यार्थियों को कक्ष में अच्छे ढंग से बैठकर पढ़ने की सुविधा मिल सके।

**06** सौ तीन करोड़ रुपये निर्माण पर होंगे खर्च

**01** हजार तीन सौ चौदह विद्यालयों में बनेंगे अतिरिक्त कक्ष

**कई स्कूलों को उच्चीकृत भी किया जाएगा**

कई स्कूलों को कक्षा आठ तक उच्चीकृत भी किया जाएगा। जिसके लिए अतिरिक्त कक्ष की जरूरत होगी। अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए 151 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में बाउंड्रीवाल बनाई जाएगी। विद्यालयों में जरूरत के अनुसार कुल 40 हजार मीटर बाउंड्रीवाल बनाए जाने को 78 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

## सुलतानपुर के एसडीएम भूमि आवंटन गड़बड़ी में निलंबित

**लखनऊ, विशेष संवाददाता।** राज्य सरकार ने सुलतानपुर में तैनात उप जिलाधिकारी करन सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें मंडलायुक्त प्रयागराज कार्यालय से संबंध किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच होगी। उन पर संभल की गुन्नौर तहसीलदार के पद पर रहते हुए भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है।

करन सिंह तहसीलदार से एसडीएम के पद पर पदोन्नति पाने के बाद सुलतानपुर में तैनात किए गए हैं। वह पूर्व में संभल की गुन्नौर तहसील में तैनात थे। उन पर आरोप है कि गुन्नौर के ग्राम सुखैला असदपुर में श्रेणी-5(3) के तहत दर्ज झाऊ के खाते में एवं श्रेणी-6(4) (रेता) की सरकारी भूमि के नियम विरुद्ध आवंटित कर दिया। संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल ने इस संबंध में शासन को निलंबन की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट भेजी थी। इसमें भूमि आवंटन में नियमों की अनेदेखी करने का आरोप लगाया गया है। भूमि आवंटन करने तथा पद का दुरुपयोग करने के लिए दोषी बताया गया है।

■ संभल के गुन्नौर में तहसीलदार रहते गड़बड़ी
■ प्रयागराज कमिश्नर दफ्तर से संबद्ध रहेंगे

**सियासत**

### लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पेंशन बढ़ी

**लखनऊ।** राज्य सरकार ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की पेंशन बढ़ा दी है। एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की।

### होमगार्डों के कैशलेस इलाज का जीओ जारी

**लखनऊ।** शासन ने होमगार्ड /अतैनातिक अधिकारियों और उनके आश्रितों के लिए पांच लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

### पर्यटन योजनाएं 20 नवंबर तक पूरी होंगी

**लखनऊ।** पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन विकास की परियोजनाएं स्वीकृत कर कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित योजनाओं को इसी वर्ष 20 नवंबर तक पूरा कर आम जनता को समर्पित किया जाना है।

### डिग्री कॉलेजों में लगाए जाएंगे 20 लाख पौधे

**लखनऊ।** विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कैंपस को हरा-भरा बनाने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। 12 जुलाई को यूपी में वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 चलाया जाएगा और उसमें विभाग की ओर से इतने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

## महिला मजदूरों के बच्चों की देखरेख होगी

■ शैलेंद्र श्रीवास्तव

**लखनऊ।** वीबी जीरामजी योजना में काम करने वाली महिला मजदूरों को अब अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए किसी के सहारे नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब वे अपने बच्चों को कार्यस्थल पर लेकर आ सकेंगी और वहीं पर उनके देखभाल की सुविधा होगी। यह व्यवस्था न्यूनतम पांच साल से कम पांच वर्ष बच्चों के होने पर की जाएगी। महिला मजदूरों में ही किसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके एवज में उसे पूरी दिहाड़ दी जाएगी।

वीबी जीरामजी योजना में इसका प्रावधान कर दिया गया है। यूपी में मनरेगा के स्थान पर वीबी जीरामजी योजना शुरू की गई है। गांवों में अभी तक सबसे बड़ी समस्या महिला मजदूरों को लेकर हो रही थी। इसीलिए वीबी जीरामजी में यह सुविधा दी गई है कि पांच साल से छोटे बच्चों को कार्यस्थल पर ही देखभाल की सुविधा होगी। इसके लिए पांच बच्चे होने अनिवार्य होगा। इसमें बच्चों के पीने के लिए साफ पानी व मामूली उपचार के सामान रखे जाएंगे।

**125** दिन का न्यूनतम रोजगार जॉब कार्ड के आधार पर महिला मजदूरों को दिया जाएगा

**05** साल से छोटे बच्चों को कार्यस्थल पर ही देखभाल की सुविधा

**जॉब कार्ड 3 वर्ष के लिए**

वीबी जीरामजी योजना में मजदूरों के लिए बनाए जाने वाला जॉब कार्ड तीन साल के लिए वैध होगा। इसी कार्ड पर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायते योजनाएं तैयार करेंगी। ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार के आवसरों का आवंटन करेंगी।

## योजनाओं के प्रचार को हर ब्लाक में लगे प्रदर्शनी: केशव

**लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।** उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के सभी ब्लाक में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों व उद्यमियों को विभागीय योजनाओं, अनुदान और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाए।

मौर्य मंगलवार को उद्यान भवन स्थित राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में महिला छात्रावास का शिलान्यास और प्रयोगशालाओं में स्थापित नई मशीनों का लोकार्पण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को सम्मानित किया और पात्र इकाइयों को डेमो चेक भी वितरित किए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि को प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की प्रदर्शनी आयोजित किए जाने से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं उद्यमियों को विभागीय योजनाओं, अनुदानों एवं रोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

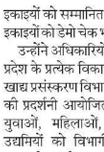

डिप्टी सीएम ने उद्यान भवन में दिए अधिकारियों को निर्देश

## रुपे कार्ड जारी करने में यूपी देश में आगे

**लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।** उत्तर प्रदेश 'रुपे' कार्ड जारी करने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। पीएम जन धन योजना के तहत देश में अब तक 40.60 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं इनमें से 7.16 करोड़ कार्ड जारी कर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है। यूपी के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है।

राज्य में लाभार्थियों को इन कार्डों का बढ़ता उपयोग यह दर्शाता है कि लोग केवल बैंक खाते ही नहीं खोल रहे बल्कि रोजमर्रा के भुगतान, नकद निकासी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। रुपे कार्ड जारी करने में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नम्बर पर बिहार (4.98 करोड़), तीसरे नम्बर पर पश्चिम बंगाल (3.76 करोड़), चौथे नम्बर पर मध्य प्रदेश (3.51 करोड़) और पांचवें नम्बर पर महाराष्ट्र (2.72 करोड़) का स्थान है।

**07** करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड उत्तर प्रदेश अब तक जारी कर चुका है

■ पूरे देश में 40 करोड़ रुपये कार्ड जारी किए जा चुके हैं

**लोग अब डिजिटल बैंकिंग को तेजी से अपना रहे**

इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को बिजनेस कारेस्पोन्डेंट की सुविधा मुहैय्या कराने वाली संस्था बीएलएस ई-सर्विसेज के सीओओ, लोकनाथ पांडा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत रुपे कार्ड का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लाभार्थी अब रोजमर्रा के लेनदेन के लिए डिजिटल बैंकिंग को तेजी से अपना रहे हैं।

## बिजली लोड का मामला आयोग पहुंचा

**लखनऊ, विशेष संवाददाता।** लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने का मामला मंगलवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व याचिका दायर करते हुए बिजली भार बढ़ाने के मामले में गंभीर कानूनी अनियमितताएं बताई हैं। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से मांग की है कि इस मामले की कानूनी पड़ताल करके फैसला वापस करवाए और उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करे।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली दर आदेश और विद्युत वितरण संहिता 2005 के क्रम में 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने के आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए।

**बहुमंजिला इमारत वालों की समस्याओं का समाधान नहीं**

**लखनऊ।** बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले उपभोक्ताओं की साझा क्षेत्र में बिजली खपत की जानकारी संबंधी समस्याओं का समाधान इस बार के टैरिफ आदेश में भी नहीं हो सका। उम्मीद जताई जा रही थी कि जब नियामक आयोग इस साल की बिजली दरों का टैरिफ आदेश जारी करेगा तो उसमें इन समस्याओं पर भी कोई व्यवस्था दी जाएगी।

**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**
जी-4/5बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
नोटिस सं0-मु.अभि.-सी0- 72/ई.टेन्/टी-400(IX) दिनांक: 07.07.2026
अल्प कालीन ई-निविदा सूचना
उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा निम्नलिखित जनपदों में निर्माण कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत डाक्यूमेन्ट, नियम/शर्तें वेबसाइट http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा से सम्बन्धित सूचना विभागीय वेबसाइट www.upmss.org पर भी देखी जा सकती है।

| क्र0 सं0 | निविदा नोटिस संख्या | कार्य का नाम | निविदा लागत (रू0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.ब0/अधिकारि0/सहकारी-ई0टे0/कृषिविकासपरियोजना/ई-टेण्डर/2026-27 दि0 06.07.2026 | PLATFORM AND G.I CHAIN LINK FENCING FOR STATIC CRYOGENIC VESSELS AT PASHU CHIKITSALAY MACHHALI SHAHAR JAUNPUR. | 2.40 |

मुख्य अभियन्ता

meil INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) meil
एमईआईएल अनपरा 'सी' तापीय विद्युत परियोजना से फॉन्ड ऐश/लगाई ऐश के निम्न-मृत्ति क्षेत्रों, परिदमक्षेत्र बढ़ानों, बांध निर्माण तथा तटबंध निर्माण परियोजनाओं, राख-आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयों आदि (प्रस्तावित MoEF&CC अधिसूचनाओं के अनुसार) में उपयोग हेतु जुलाई 2026 से मार्च 2027 की अवधि के लिए रुचि अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रण।
EOI No. MAEL/Pond Ash & Fly Ash/EOI/2026-27/04 Date: 08/07/2026
एमईआईएल अनपरा एकजी लिमिटेड द्वारा एमईआईएल अनपरा "सी" तापीय विद्युत परियोजना से 300 किमी त्रिज्या के भीतर स्थित निम्न-मृत्ति क्षेत्रों में राख के उपयोग तथा राख-आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयों, परिदमक्षेत्र बढ़ानों, बाँध निर्माण एवं एम्बाङ्कमेंट तटबंध (Embankment) निर्माण कार्यों में फॉन्ड ऐश/फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु चार एवं इच्छुक भूमि स्वामियों, खदान स्वामियों तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। एमईआईएल द्वारा राख निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रचलित MoEF&CC अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं (End Users) के साथ पारस्परिक सहमति के आधार पर परिवहन व्यय का वहन भी किया जा सकता है।
Quantity: 1. फॉन्ड ऐश – 20.0 LMT, 2. Auxiliary फॉन्ड ऐश – 3.0 LMT, 3. फ्लाई ऐश – 5.0 LMT
EOI इस पते पर भेज सकते हैं: Head Procurement & Contracts, MEIL Anpara Energy Ltd C/o Megha Engineering & Infrastructure Limited, Tower # 2, 5th Floor, Technocrats Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad – 500037, on or before 18:00 hrs. of 19/07/2026.
प्रस्ताव ऐश्वर्य www.meilanparapower.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं या kamaljeet.rai@meilanparapower.com से ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। Mob: 7973003240

## कमीशन के चलते पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए: अखिलेश

**लखनऊ।** सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम गिरने से पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी कमी आई है। भारत में भाजपा सरकार दाम नहीं घटा रही है। भारत में तेल या किसी भी चीज के दाम का अपना अनोखा 'भ्रष्ट अर्थशास्त्र' है। ये मांग-आपूर्ति से नहीं, बल्कि भाजपाई कमीशनखोरी से चलता है। कंपनियों का प्रॉफिट-लाभ जितना होगा, भाजपा को कमीशन उतना ज्यादा मिलेगा।

## अनाज खरीद के पूर्व भंडारण की दिक्कतें दूर करें : मनोज

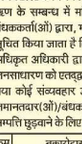

**खाद्य-रसद विभाग की स्थायी समिति की बैठक में बोले मंत्री**

**लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।** खाद्य, रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि गेहूं-धान खरीद के दौरान भण्डारण की समस्या के निराकरण की पहले से ही तैयारी कर ली जाए। मंगलवार को बापू भवन में खाद्यान्न के क्रय-विक्रय/परिवहन हैण्डलिंग/भण्डारण के लिए कार्य योजना बना कर किराये पर गोदाम लिए जाने के लिए एक कलेन्डर भी तैयार कर ली जाए ताकि भण्डारण की समस्या आने पर गोदाम उपलब्ध रह सके।

**चलाया जाएगा ऑपरेशन वज्र**

**लखनऊ।** डीजीपी राजीव कृष्ण ने साइबर अपराधियों पर सुनियोजित कार्रवाई कराने के लिए आपरेशन सीवाई-वज्र चलाने का निर्देश दिया है। सभी जिलों में सात दिवसीय विशेष अभियान के तहत साइबर अपराधियों पर शिकंजा करेगा।

**यूनियन बैंक Union Bank of India**
प्रथम मंजिल, शुक्ला कॉम्पलेक्स, महुआबाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर पश्चिम
**बैंक की पुरानी कारों की बिक्री**
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अपनी पुरानी उपयोग में लेने योग्य कारों को गवरमेंट ई-मार्केटप्लेस पर वायदा नीलामी के माध्यम से निपटान करने का इच्छुक है। अधिक जानकारी बैंक की वैबसाइट www.unionbankofindia.co.in, सरकार की वैबसाइट www.eprocure.gov.in और डीईएम पोर्टल https://gem.gov.in, पर उपलब्ध है। (नीलामी आईडी 36879 & 36874)
बैंक कोई भी/सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है आगे के अपडेट, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल बैंक की वैबसाइट और सरकारी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।
क्षेत्र प्रमुख

## वाराणसी समेत 12 तकनीकी संस्थानों में नए प्रवेश पर रोक

**लखनऊ।** यूपी में 12 तकनीकी संस्थानों में नए दाखिले पर रोक लगा दी गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इसे मंजूरी दे दी है। पहले से जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाएगी।

एकेटीयू ने एआईसीटीई के निर्देश जारी होने के बाद इन कॉलेजों को प्रोग्रेसिव क्लोजर की अनुमति दे दी है। जिसमें वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर नगर, सहारनपुर, मेरठ और मथुरा के निजी इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेज शामिल हैं। इनमें पहले से पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। उन्हें पहले की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें डिग्री मिलने के बाद यह कालेज बंद होंगे।

## अटल विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा अब सीबीएसई कराएगा

**लखनऊ।** अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं भी अब सीबीएसई कराएगा। नए सत्र (2027-28) से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने इस संबंध में प्राप्त एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

समिति ने अटल विद्यालय में कंपोजिट स्किल एवं इनोवेशन की स्थापना को भी हरी झंडी प्रदान कर दी है। इससे अटल विद्यालयों के छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी।

**उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक**
**UTTAR PRADESH GRAMIN BANK**
(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)
(Scheduled Bank Owned by Government)
क्षेत्रीय कार्यालय- प्रथम तल, रघुवंशी टॉवर, निकट राहुल प्रेक्षागृह, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001
प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्पलेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ- 226010
**कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)**
अधोहस्ताक्षरी, जो कि सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस् एण्ड इंफोरसमेन्ट आफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट-2002, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अधिकृत अधिकारी हैं, द्वारा उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (2) तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोरसमेन्ट) नियम 2002 के नियम 3 में निहीत प्रावधानो के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए बकायेदार(ओं)/ जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को बकाया ऋण के सम्बन्ध में मांग पत्र भेजे गए तथा ऋण वापसी हेतु 60 दिनों का अधिकतम समय दिया गया। बकायेदार(ओं)/जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा, मांगी गई धनराशि जमा न किये जाने पर एतद्द्वारा बकायेदार(ओं)/ जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) एवं जन साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा 13(4) व नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्तियों पर अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 02.07.2026 को कब्जा ले लिया गया। बकायेदार(ओं)/ जमानतदार(ओं) /बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप एवं जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित परिसम्पत्तियों का किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करें। इस सम्बन्ध में किया गया कोई संव्यवहार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को देय राशि उस पर ब्याज के प्रभार के शर्तों के शर्तों के अनुसार होगा। बकायेदार(ओं)/ जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की तरफ आकर्षित किया जाता है जो प्रतिभूति सम्पत्ति छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में है।

| क्रम सं0 | बकायेदार/बंधककर्ता/जमानतदार का नाम व पता, शाखा व खाता संख्या | बंधक सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना पत्र की तिथि व बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | **ऋणकर्ता:** श्रीमती राधिका मौर्या पत्नी त्रिभुवन मौर्या निवासी ग्राम- भदुली, पोस्ट- मोहम्मदलला, जिला- आजमगढ़, पिन- 276001<br>**बंधककर्ता/जमानतकर्ता:** श्री त्रिभुवन मौर्या पुत्र रामरूप मौर्या निवासी ग्राम- भदुली, पोस्ट- मोहम्मदलला, जिला- आजमगढ़, पिन- 276001<br>**जमानतकर्ता:** श्री रामप्रताप पुत्र रामबली निवासी ग्राम- भदुली, पोस्ट- मोहम्मदलला, जिला- आजमगढ़, पिन- 276001<br>**शाखा: सिधारी**<br>**खाता सं0- 80310500000046 व 80310600000086** | अचल सम्पत्ति का सभी भाग स्थित राजस्व ग्राम- भदुली, परगना- निजामाबाद, तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़ जिसका प्लाट संख्या- 419 के (प्लाट का यूनिक कोड- 218639041920030312), क्षेत्रफल 08 कड़ी या 32.40 वर्ग मीटर केवल कुल क्षेत्रफल 0.024 हेक्टेयर में से, जो कि श्री त्रिभुवन मौर्या पुत्र रामरूप मौर्या के नाम विक्रय विलेख संख्या- 7611, द्वारा दिनांक 14.09.2022 को पंजीकृत है।<br>**चौहद्दी (विलेख के अनुसार):** उत्तर- ठाकुर प्रसाद गुप्ता का मकान, दक्षिण- पी.डब्लू.डी रोड आजमगढ़ से निजामाबाद, पूरब- सुरेश चन्द मौर्या का मकान, पश्चिम- नरेन्द्र विश्वकर्मा का मकान | 18.04.2026<br>रू0<br>6,46,702.00<br>+ ब्याज व अन्य खर्च आदि |
| 2. | **ऋणकर्ता:** श्री मो0 शमीम पुत्र मंजूर अहमद निवासी ग्राम- सुराही, पोस्ट- फरीहा, बड़ागाँव, जिला- आजमगढ़, पिन- 223227<br>**बंधककर्ता/जमानतकर्ता:** श्रीमती सलमा पत्नी श्री अफज़ल निवासी ग्राम- सुराही, पोस्ट- फरीहा, जिला- आजमगढ़, पिन- 223227<br>**जमानतकर्ता:** श्री राजेश पुत्र रामाशी निवासी ग्राम- मैनपरपुर, पोस्ट- बड़ागाँव, जिला- आजमगढ़, पिन- 223227<br>**शाखा: फरीहा**<br>**खाता सं0- 80260500000084 व 80260500000096** | अचल सम्पत्ति का सभी भाग स्थित ग्राम- मुस्तफाबाद, टप्पा- फरीहा, परगना व तहसील- निजामाबाद, जिला- आजमगढ़ (30%0) जिसका अराजी संख्या नम्बर 255, क्षेत्रफल 035 कड़ी या 141.75 वर्ग मीटर केवल, जो कि श्रीमती सलमा पत्नी अफज़ल के नाम विक्रय विलेख संख्या- 3498, द्वारा दिनांक 14.10.2020 को पंजीकृत है।<br>**चौहद्दी (विलेख के अनुसार):** उत्तर- वन्दना गुप्ता का मकान, दक्षिण- विक्रेता की शेष भूमि, पूरब- विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम- राष्ट्रीय मार्ग मंझूरी से मुहम्मदपुर | 23.04.2026<br>रू0<br>10,94,762.23<br>+ ब्याज व अन्य खर्च आदि |

अधिग्रहण की तिथि- 02.07.2026
नोट: प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।
दिनांक: 08.07.2026 स्थान: आजमगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda**
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा : प्रथम तल, श्री बेरीवाला स्मृति भवन,पी.डी.आर मॉल के पास, लक्सा रोड, वाराणसी-221010 (उ0प्र0), ई-मेल: sarvar@bankofbaroda.com, वेबसाइट: www.bankofbaroda.bank.in, मो0- 9554959534
**विक्रय सूचना**
अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए
अनुर्नत-V-A (नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान देखें
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम,2002 सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी / जमानतकर्ता एवं कानूनी वारिसों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार यक्त सम्पत्ति को , जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जे में ले लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा '' जो है, जहाँ हैं'', ''जो है जैसे है'' एवं ''जो कुछ भी हैं'' के आधार पर ई-नीलामी /बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता /कानूनी वारिस/ प्रतिभूति आस्ति/ देय/आरक्षित मूल्य/ ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-
**नीलामी की तिथि : 28.07.2026 समय दोपहर 02:00 से सायँ 06:00 बजे तक**
धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाईन इनईफ्टी/ट्रांसफर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 27.07.2026 तक या उससे पहले किया जायेगा।

| क्र0 सं0 | ऋणकर्ता /प्रोपराईटर/ जमानतकर्ता का नाम एवं पता/कानूनी उत्तराधिकारी | अचल सम्पत्तियों का विवरण | कुल बकाया राशि | आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी धनराशि | कब्जा की स्थिति (सांकेतिक /भौतिक) | सम्पत्ति निरिक्षण तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ऋणी:** मेसर्स पवन ट्रेडर्स<br>**पंजीकृत पता:** के 53/46 ए-1, विशेश्वरगंज, महामृत्युंजय रोड, वाराणसी (30%0)- 221001<br>**प्रोपराईटर:** श्रीमती रेखा देवी<br>**जमानतदार:** (1) श्री प्रताप कुमार (2) श्रीमती लीला देवी<br>**पता:** सभी निवासी सी 19/232, ए-8, लल्लापुरा, सिगरा, वाराणसी (30%0)- 221010 | साम्यिक बंधक सम्पत्ति जो कि श्रीमती लीला देवी के नाम में है, मकान नम्बर सी 19/232 ए-8, क्षेत्रफल 2507 वर्ग फीट स्थित मौजा- लल्लापुरा, वार्ड- चेतगंज, परगना- देहात अमानत, तहसील व जिला- वाराणसी<br>**चौहद्दी विक्रय विलेख के अनुसार:** पूर्व- सार्वजनिक मार्ग उसके बाद अहाता श्री प्यारे लाल दीक्षित, श्री देवन व श्री गुलजार अहमद, पश्चिम- रामबाला देवी की जमीन, उत्तर- अहाता गिरजा शंकर, दक्षिण- अहाता श्री बजोर साव | रू 57,14,713.74<br>+ ब्याज दिनांक 31.10.2023 से एवं अन्य खर्च (मांग एवं कब्जा सूचना जारी होने के बाद ऊपर कोई भुगतान है, को घटाकर | 10,